<u>बिहार सरकार</u>
<u>सहकारिता विभाग</u>

पत्रांक................................../पटना, दिनांक..
03/सह०ब०योजना (आवंटन)–02/2025

प्रेषक,

अभय कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य योजना अन्तर्गत विभागीय प्रचार–प्रसार अंतर्गत सहकार संवाद पत्रिका की 15,000 (पन्द्रह हजार) प्रतियों के मुद्रण में हुए कुल व्यय जी०एस०टी० सहित रू० 2,43,900/– (दो लाख तैतालीस हजार नौ सौ) रूपये मात्र के आवंटन के संबंध में।**

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक–299, दिनांक–14.08.2025 के आलोक में राज्य स्कीम अंतर्गत मांग संख्या–09, मुख्य शीर्ष–2425 सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–105–सूचना एवं प्रचार, उप शीर्ष–0101–सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय, विपत्र कोड–09–2425001050101, विस्तृत शीर्ष–26–विज्ञापन और प्रकाशन, विषय शीर्ष–01–विज्ञापन और प्रकाशन मद में रू0 2,43,900/– (दो लाख तैतालीस हजार नौ सौ) रूपये मात्र का आवंटन दिया जाता है।

2. उपर्युक्त आवंटन वित्त विभाग के पत्र सं0–227/वि0, दिनांक–28.03.2025 के अंतर्गत बिहार विनियोग (संख्या–02) अधिनियम, 2025 एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या–235/वि0, दिनांक–01.04.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561, दिनांक–17.04.1998 में निहित शर्त्तों/अनुदेशों का अनुपालन किया जाना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यक होगा।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–
(अभय कुमार सिंह),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–................................/पटना, दिनांक–..

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफा में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–60(आ०)/पटना, दिनांक–18/08/25

प्रतिलिपिः– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय, निबंधक, स०स०, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/विपत्र लिपिक, कार्यालय निबंधक, स०स०, बिहार, पटना (दो मूल प्रतियों में)/विभागीय आई०टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.08.25

सरकार के अपर सचिव।